'8119/2023

उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
19सी, तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स, विधान सभा मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226001
दूरभाष/फैक्स: 0522-2235752 फैक्स- 0522-2235806
Web-www.uppbpb.gov.in

विज्ञप्ति संख्या: UPPRPB-PROM04000(4001)/3/2023

विज्ञप्ति

पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) के चयन वर्ष 2021/2022/2023 की रिक्तियों के सापेक्ष पुलिस विभाग में नियुक्त समूह-घ के कार्मिकों से विभागीय परीक्षा के माध्यम से भरे जाने हेतु दिनांक 10-11-2023 को सम्पन्न कम्प्यूटर टंकण परीक्षा का परिणाम ।

विज्ञप्ति संख्या: UPPRPB-PROM04000(4001)/3/2023 दिनांक 03-11-2023 के क्रम में अवगत कराना है कि पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) की चयन वर्ष 2021 की 37, चयन वर्ष 2022 की 39 तथा चयन वर्ष 2023 की 41 रिक्तियों को पुलिस विभाग में नियुक्त समूह 'घ' के पात्र कार्मिकों से विभागीय परीक्षा के माध्यम से भरे जाने हेतु "उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय संवर्ग सेवा नियमावली, 2015 (यथा संशोधित)" में निहित प्रावधानों के अनुसार **दिनांक 10-11-2023 को अंग्रजी/हिन्दी टंकण परीक्षा का आयोजन किया गया ।**

2 - उक्त परीक्षा हेतु कुल 149 पात्र अभ्यर्थियों में 134 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुये, जिसके अन्तर्गत मात्र 10 अभ्यर्थी हिन्दी तथा अंग्रेजी टंकण परीक्षा में सफल तथा 124 अभ्यर्थी असफल रहे । सफल अभ्यर्थियों की सूची निम्नवत् है :-

क्र0सं0	पीएनओ	अभ्यर्थी/कर्मी का नाम	पिता का नाम	नियुक्ति स्थान
01	032090172	ALOK KUMAR	GHURMARI RAM	BLA
02	032770041	VINAY KUMAR SINGH	SHRI AYODHYA SINGH	SP KBN
03	082027386	DURGESH KUMAR	HAKIM SINGH	AIH
04	082100070	BHANU PRATAP SINGH	PRAGILAL	BNA
05	112101927	VIVEK SINGH BHADAURIA	PRADEEP KUMAR SINGH	BNA
06	013550026	NARENDRA SINGH	SHRI LAXMAN SINGH	24 BN
07	112474023	MO.HASNAIN	JAUWAAD	MRJ
08	141060039	MO.FARHAN	MO.JAVED	PTS STP
09	031020220	RIYAJ AHMAD SIDHIQI	JAHRUL HASAN SIDHIQI	RHQ
10	130550026	NARENDRA SINGH	SHRI LAXMAN SINGH	24BN

3- <u>सगत सेवा नियमावली के प्राविधान के अनुसार अंग्रेजी तथा हिन्दी टंकण परीक्षा में सफल उक्त अभ्यर्थियों की आनलाइन लिखित परीक्षा करायी जायेगी ।</u> टंकण परीक्षा में सफल सभी अभ्यर्थियों को 100 अंकों की आनलाइन लिखित परीक्षा देनी होगी । लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु अभ्यर्थियों को 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे । लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम से विज्ञप्ति संख्या-पीआरपीबी-चार-10(29)/2023 दिनांक 19-10-2023 के माध्यम से पूर्व में ही अवगत कराया जा चुका है । आनलाइन लिखित परीक्षा हेतु एक प्रश्नपत्र होगा।

<u>आनलाइन लिखित परीक्षा की संरचना</u>

विषय		प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	समय
विषय- 1	(क) सामान्य हिन्दी	25	25	**01 घण्टा 15 मिनट**
	(ख) कम्प्यूटर ज्ञान			
विषय-2	(क) सामान्य जानकारी	25	25	
	(ख) समायिक विषय			
विषय-3	(क) संख्यात्मक योग्यता परीक्षा	25	25	
	(ख) मानसिक योग्यता परीक्षा			
विषय-4	(क) मानसिक अभिरूचि	25	25	
	(ख) बुद्धिलब्धि परीक्षा			
	(ग) तार्किक परीक्षा			
		कुल प्रश्न- **100**	कुल अंक- **100**	

4- लिखित परीक्षा में 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी पदोन्नति के लिये पात्र नहीं होंगे ।

5- प्रश्नपत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे । प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर दिये जायेंगे । इनमें से अभ्यर्थी जिस उत्तर को सही समझते हों चुन लें, प्रत्येक प्रश्न के लिये एक ही उत्तर चुनें तथा तद् नुसार उत्तर भरें ।

6- प्रत्येक सही उत्तर के लिये 01 अंक निर्धारित है । किसी गलत उत्तर के लिये कोई निगेटिव मार्किंग नहीं की जायेगी ।

7- विषय-1 सामान्य हिन्दी को छोडकर सभी विषय के सभी प्रश्न हिन्दी और अंग्रेजी में होंगे ।

8- अभ्यर्थियों की रिस्पांसशीट लिखित परीक्षा की समाप्ति के उपरान्त उत्तर कुंजी के साथ बोर्ड की वेबसाइट पर 07 दिवस के लिये प्रदर्शित की जायेगी ।

9- आनलाइन लिखित परीक्षा के प्रश्न एवं उत्तर विकल्पों की कोई त्रुटिगोचर होने पर अभ्यर्थियों द्वारा आपत्ति दाखिल किये जाने हेतु Candidate Interface उपलब्ध होगा, जिस पर आपत्तियॉ दर्ज करायी जा सकेंगी ।

10- सभी प्रश्नों एवं उत्तर की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिये सभी सावधानियॉ

बरती जायगा । तथापि यदि किसी विषय में कोई प्रश्न त्रुटिपूर्ण पाया जाता है, तो त्रुटिपूर्ण प्रश्नों को निरस्त किया जायेगा तथा निरस्त किये गये प्रश्नों के अंकों को उस भाग के शेष प्रश्नों में समान रूप से बांटने विषयक कार्यवाही रिट याचिका संख्या 2669/2009 (एम0बी0) पवन कुमार अग्रहरि बनाम उ0प्र0 लोक सेवा आयोग में स्वीकृति विधि व्यवस्था के अनुसार निम्न सूत्र के अनुसार की जायेगी :-

सूत्र :-	प्रश्न के उस भाग के पूर्णांक प्रश्नपत्र में कुल प्रश्नों की संख्या – निरस्त प्रश्नों की संख्या	**X** अभ्यर्थी के सही प्रश्नों की संख्या

11- अगर परीक्षा के दौरान कोई अभ्यर्थी नकल करते हुये अथवा अनुचित संसाधनों का प्रयोग करते हुये पाया जाता है तो बोर्ड उसका अभ्यर्थन निरस्त कर सकता है एवं इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी के विरूद्ध आपराधिक कृत्य हेतु अभियोग भी पंजीकृत कराया जायेगा । इस सम्बन्ध में बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा ।

12- यह सूचना सर्वसाधारण के लिये प्रकाशित की जा रही है । अत: जो सूचनायें इस सूचना/विज्ञप्ति के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही है, उनके सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम - 2005 के अन्तर्गत पृथक से कोई प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे और न ही उन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार किया जायेगा ।

#ApprovedByDesignation#
14-11-2023

अपर सचिव (प्रोन्नति)
उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ ।

gned by Ramakant Prasad
ate: 14-11-2023 13:23:13